






तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुकम की में जज
27-6-16	<p>पत्रावली आज पेशी में ली गई। पत्रावली दि० 8-7-2016 को राजस्व लोक अदालत फोल्डोअप शिबिर में कैम्प स्टूटलासलोना पर पेशाए।</p> <p style="text-align: center;">  उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी </p> <p>8-7-2016 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प स्टूटलासलोनापर पेशाए। वादी रूपचन्द उप० है। वादीने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि वादी के दावे में प्रारम्भिक त्रुटि होने के कारण वादी अपना दवा वापस लेकर नया दवा सिविल न्यायालय में पेश करना चाहता है। इसलिये वादी को नया दावा पेश करने की अनुमति दी जाकर यह दावा वापस लेने की अनुमति दी जावे।</p> <p>अतः वादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादी को वाद वापस लेने व नवीन वाद पेश करने की अनुमति दी जाती है। पचास डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो सब वाद तकमील दारिगल दफ्तर हो।</p> <p>  (सतीश कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी </p> <p>  (रवि कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी </p> <p>  (मुनिदेवयाक) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी सर्व उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी </p>	

रूपचन्द



1. निर्देश
2. बाबू
3. रज्ज
4. छोटी
5. लेख
मुकदमा
से आज
होने पर
हव भी
होना।
2. हाकि
3. प्रदर
4.
5. लखि
6. कनि
7. अर्दी

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प स्थल खूटला सलौना
पीठासीन अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

रूपचंद पुत्र हरबक्श, खारवाल निवासी दौलतपुरा तहसील गंगापुर सिटी
बनाम

---वादी

1. गिराज पुत्र कजोडया, रैगर निवासी दौलतपुरा तहसील गंगापुर सिटी
2. बाबू पुत्र कजोडया, रैगर निवासी दौलतपुरा तहसील गंगापुर सिटी
3. रज्जो पुत्री कजोडया, रैगर निवासी दौलतपुरा तहसील गंगापुर सिटी
4. छोटी पुत्री कजोडया, रैगर निवासी दौलतपुरा तहसील गंगापुर सिटी
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार एवं सब रजिस्टार गंगापुर सिटी

---प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. - 50/2013

वादी की ओर से वादी रूपचंद की व प्रतिवादी की ओर से कोई नही की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 8.7.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में वादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी को अपना वाद विदूडा करने एवं भविष्य मे नवीन दावा प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 8.7.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई



मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 अर्जी के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	i
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	

राजस्थान उपाखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- खूँटला - सलीम

गंगापूर सिटी

राजीनामा प्रपत्र

राजस्थान उपाखण्ड अधिकारी महोदय
खूँटला - सलीम
रूपचन्द

दिनांक ८/७/१६

गंगारज कोर्ट

५०/१३

अन्तर्गत धारा

८८, १८८, २०७ R-T Act

आपका प्रपत्र में प्रार्थी/वादी श्री रूपचन्द पुत्र हरबक्स
को कि उक्त उन्वयन का प्रकरण आपके न्यायालय में लक्षित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो
सकती है। हम पक्षकारों के बीच सुलह अवधि हो चुके हैं।

हम पक्षकारों के बीच सुलह अवधि हो चुके हैं।
हम पक्षकारों के बीच सुलह अवधि हो चुके हैं।
हम पक्षकारों के बीच सुलह अवधि हो चुके हैं।
हम पक्षकारों के बीच सुलह अवधि हो चुके हैं।
हम पक्षकारों के बीच सुलह अवधि हो चुके हैं।

हम पक्षकारों के बीच सुलह अवधि हो चुके हैं।

रूपचन्द

- प्रतिवादी पक्ष 1
- 2
- 3
- 4

हस्ताक्षर
(नेमिष्ठ प्रसाद वर्मा)
पुधाना-चार्य
राजस्थान उपाखण्ड अधिकारी
रूपचन्द पुत्र हरबक्स, खूँटला

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर
(प्रतिवादी पक्ष) नाम

उक्त उन्वयन रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामे की इजाजत को सुन व समझ कर सही होना
हम पक्षकारों के बीच सुलह अवधि हो चुके हैं।

(हो सदस्य)
रवि कुमार शर्मा
सदस्य
लोक अदालत
गंगारज सिटी

(हो सदस्य)
रवि कुमार शर्मा
सदस्य
लोक अदालत

(हो सदस्य)
मुनिदेव यादव
अध्यक्ष
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
गंगारज सिटी